

20/5/2025

वकील जाबती उप. / वकील अजाबती उप. | पगवली वी मूल पगवली
क्र. नं: 4/2022 में ~~आवेदन~~ प्राथना पर OADR, CPC द्वारा
धारा 151 CPC खींचा किया जाकर मूल धारा खारिज
किया गया है। मूल धारा खारिज होने से इस प्रा.पत्र धारा
212 रतन पर कोई कार्यवाही अर्पित नहीं हो जाती है।
अतः इस प्रा.पत्र / पगवली पर कार्यवाही रसी स्तर पर समाप्त
की जाती है। पगवली फौजल शुमार है। नम्बर से इस धारा
हाथिल लेखत रही।

अजाबती अधिकारी
विभागाध्यक्ष (अजाबती)